प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरम : माननीय श्री जगदीश भल्ला (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश) एवं
माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकीर्ण अपील (सिविल) क्र. : 85/2007

रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

झूल बाई व अन्य

प्रकीर्ण अपील (सिविल) क्र. : 14/2007

झूल बाई व अन्य

बनाम

शिव कुमार व अन्य

विचारार्थ आदेश

सही/–
दिलीप राव साहेब देशमुख
न्यायाधीश

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

सही/–
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरम : माननीय श्री जगदीश भल्ला (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश) एवं
माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायधीश

प्रकीर्ण अपील (सिविल) क्र. : 85/2007

रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नया बस स्टैंड, पंडरी, रायपुर (छ.ग.)

...अपीलकर्ता (अनावेदक क्रमांक 3)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. झूलबाई, पति स्व. धनसाय, उम्र लगभग 45 वर्ष,
2. राम अवतार साहू, पिता स्व. धनसाय, उम्र लगभग 28 वर्ष,
3. राजकुमार साहू, पिता स्व. धनसाय, उम्र लगभग 26 वर्ष,

   (सभी निवासी: ग्राम तोरवा, थाना तोरवा, तहसील एवं जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़)
4. शिवकुमार, पिता चिरैया बंजारा, उम्र लगभग 21 वर्ष,

   निवासी: डोमूहानी ढेका, पुलिस थाना तोरवा, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छ.ग.) (वाहन चालक)
5. श्रीमती खोरबहरीन चंद्राकर, पति श्री राजकुमार चंद्राकर, उम्र लगभग 37 वर्ष,

   निवासी: ग्राम कुवा, थाना पिपरिया, तहसील एवं जिला कवर्धा (छ.ग.) (वाहन स्वामिनी)

...उत्तरवादी (मूल वादी)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत अपील ज्ञापन

प्रकीर्ण अपील (सिविल) क्र. : 14/2007

1. झूलबाई, पति स्व. धनसाय, उम्र लगभग 45 वर्ष,
2. राम अवतार साहू, पिता स्व. धनसाय, उम्र लगभग 28 वर्ष,
3. राजकुमार साहू, पिता स्व. धनसाय, उम्र लगभग 26 वर्ष,

(सभी निवासी: ग्राम तोरवा, पुलिस थाना तोरवा, तहसील एवं जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़)

...अपीलकर्ता (दावेदार/वादीगण)

बनाम

1. शिवकुमार, पिता चिरैया बंजारा, उम्र लगभग 21 वर्ष,
   निवासी: डोमूहानी ढेका, पुलिस थाना तोरवा, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छ.ग.) (वाहन चालक)
2. श्रीमती खोरबहरीन चंद्राकर, पति श्री राजकुमार चंद्राकर, उम्र लगभग 37 वर्ष,
   निवासी: ग्राम कुवा, पुलिस थाना पिपरिया, तहसील एवं जिला कवर्धा (छ.ग.) (वाहन स्वामिनी)
3. रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, निवासी यू.टी.आई. बैंक, नया बस स्टैंड, पंडरी, रायपुर (छ.ग.)

...उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत विविध अपील

उपस्थित अधिवक्ता:

श्री सचिन सिंह राजपूत – अपीलकर्ता की ओर से (प्रकीर्ण अपील क्र. 85/2007 में) तथा प्रत्यर्थी क्र. 3 की ओर से (प्रकीर्ण अपील क्र. 14/2007 में)

श्री प्रफुल्ल भारत – प्रत्यर्थी क्र. 5 की ओर से (प्रकीर्ण अपील क्र. 85/2007 में)

श्री गौतम खेत्रपाल – अपीलकर्ताओं की ओर से (प्रकीर्ण अपील क्र. 14/2007 में)

अन्य प्रतिवादियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश

(दिनांक: अगस्त 2007 को पारित)

न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख द्वारा पारित:

दिनांक 09–11–2006 को नवम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बिलासपुर द्वारा दावा प्रकरण क्र. 5/2006 में पारित निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दायर की गई है। उक्त प्रकरण में एक रेलवे गेटमेन धनसाय की एक ट्रैक्टर–ट्रॉली

के साथ हुई सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण कुल ₹ 9,31,196/- का क्षतिपूर्ति प्रदान किया गया था। इस निर्णय से व्यथित होकर बीमा कंपनी द्वारा प्रकीर्ण अपील क्र. 85/2007 दायर की गई है तथा दावेदारों द्वारा मिश्रित अपील क्र. 14/2007 दायर की गई है।

यह दोनों अपीलें इस सामान्य आदेश द्वारा निपटाई जा रही हैं।

(2) दलीलों के दौरान, निम्नलिखित तथ्यों को दोनों अपीलों में अपीलकर्ताओं और वाहन मालिक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा विवाद नहीं किया गया:

(A) कि धनसाय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर में गेटमेन के पद पर कार्यरत था।

(B) कि ट्रैक्टर और ट्रॉली क्रमांक CG07D4349 और CG07D4350 (जिसे आगे "ट्रैक्टर-ट्रॉली" कहा गया है) प्रत्यर्थी क्रमांक 5 श्रीमती खोरबहरिन (जिसे आगे "मालकिन" कहा गया है) के स्वामित्व में थी, और घटना की तारीख 31-12-2005 को यह वाहन अपीलकर्ता बीमा कंपनी (जिसे आगे "बीमाकर्ता" कहा गया है) द्वारा कृषि और वानिकी कार्यों हेतु बीमित था तथा इसे प्रत्यर्थी क्रमांक 4 प्रत्यर्थी (जिसे आगे "चालक" कहा गया है) चला रहा था।

(C) कि धनसाय की मृत्यु दिनांक 31-12-2005 को उस समय हुई जब वह साइकिल चला रहा था और उपरोक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गया।

(D) कि चालक के पास दुर्घटना की तिथि को हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(E) कि दुर्घटना तोरवा, बिलासपुर की मुख्य सड़क पर मुर्राभाठा, हेमूनगर क्रॉसिंग के पास हुई थी।

(F) कि दुर्घटना के समय ट्रॉली में ईंटें भरी हुई थीं।

(G) कि अपीलकर्ता / दावेदार झूलबाई मृतक धनसाय की विधवा, तथा रामावतार और राजकुमार उसके पुत्र हैं।

(H) वाहन के मालिक व चालक को उपलब्ध कोई अन्य आधारों पर दावे को चुनौती देने का अधिकार, दिनांक 03–08–2006 को पारित आदेश द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने अपीलकर्ता/ बीमाकर्ता को प्रदान किया था।

(I) ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक और चालक द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत अपने आवेदन में, अपीलकर्ता/दावेदारों ने यह दावा किया कि धनसाय की मृत्यु ट्रैक्टर–ट्रॉली के चालक द्वारा तेजी से एवं उतावलापूर्वक से वाहन चलाने के कारण हुई। धनसाय को ₹10,417/– प्रतिमाह का सकल वेतन प्राप्त हो रहा था और वह 8 एकड़ कृषि भूमि का मालिक था जिससे उसकी वार्षिक कृषि आय ₹1 लाख थी। अपीलकर्ता/दावेदारों ने ₹28,00,048/– (अट्ठाईस लाख, अड़तालीस रुपये) का क्षतिपूर्ति की मांग की।

(4) ट्रैक्टर–ट्रॉली के मालिक और चालक ने संयुक्त लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और जिसमें उन्होंने विशेष रूप से यह कहा कि घटना की तिथि पर ट्रॉली में ईंटें लादी गई थीं जिन्हें मालकिन के दामाद के निर्माणाधीन पंप–हाउस के स्थान पर ले जाया जा रहा था, और साथ ही कृषि भूमि में नाली निर्माण कार्य हेतु भी उपयोग हो रहा था। रास्ते में डीजल पंप में रिसाव हो गया, इसलिए चालक उस ट्रैक्टर–ट्रॉली को लिंक रोड,

बिलासपुर स्थित एक कार्यशाला में प्रेशर पंप की मरम्मत हेतु ले जा रहा था। ट्रैक्टर–ट्रॉली धीमी गति से चलाई जा रही थी। मृतक ट्रैक्टर से आगे निकल गया था और मृतक ट्रॉली से टकरा गया, जबकि ट्रैक्टर पहले ही उसे ओवरटेक कर चुका था। इसलिए मृत्यु उसकी स्वयं की लापरवाही के कारण हुई थी। चूंकि ट्रैक्टर–ट्रॉली बीमित थी, इस कारण पूरा मुआवजा देने की जिम्मेदारी अपीलकर्ता/बीमाकर्ता की है।

(5) बीमाकर्ता (अपीलकर्ता) ने अपने लिखित जवाब में दावा याचिका में किए गए सभी दावों का खंडन करते हुए यह कहा कि इस दुर्घटना के लिए मृतक धनसाय स्वयं जिम्मेदार था। इसके अतिरिक्त, ट्रैक्टर–ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्यों के लिए नहीं किया जा रहा था, जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन था। अतः बीमा कंपनी किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह भी कहा गया कि ट्रैक्टर–ट्रॉली के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स नहीं था। इन आधारों पर बीमा कंपनी किसी भी प्रकार का मुआवजा अदा करने के लिए उत्तरदाई नहीं है।

(6) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने यह निष्कर्ष निकाला कि धनसाय की दुर्घटना में मृत्यु ट्रैक्टर–ट्रॉली के चालक की लापरवाही के कारण हुई, जिसके पास ट्रैक्टर (जो कि हल्के मोटर वाहन की श्रेणी में आता है) चलाने का वैध लाइसेंस था। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने यह भी माना कि बीमा कंपनी यह सिद्ध करने में असफल रही कि ट्रैक्टर–ट्रॉली का उपयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों के विरुद्ध या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। अधिकरण ने धनसाय के सकल वेतन प्रमाणपत्र के आधार पर ₹10,417/– प्रति माह का सकल वेतन मानते हुए, आश्रितता की हानि का आकलन किया। उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए 1/3 हिस्सा घटाकर, मृतक की उम्र 50 वर्ष मानकर और 11 का गुणक (Multiplier) लागू कर, कुल ₹9,31,196/– क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित की, जो कि अपीलकर्ता/दावेदारों को प्रदान की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(7) श्री सचिन सिंह राजपूत, जो कि अपीलकर्ता/बीमाकर्ता की ओर से उपस्थित थे, उन्होंने तीन प्रमुख तर्क प्रस्तुत किए। सबसे पहले, उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय ट्रैक्टर–ट्रॉली में ईंटें ले जाई जा रही थीं, जिससे यह एक परिवहन वाहन (Transport Vehicle) के रूप में प्रयुक्त हो रहा था, और इस कारणवश, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 10(2) के अनुसार, चालक के पास परिवहन वाहन (Transport Vehicle) चलाने का अधिकार दर्शाने वाला स्पष्ट रूप से अनुमत लाइसेंस होना आवश्यक था। साथ ही यह भी कहा गया कि ट्रैक्टर के मालिक और चालक यह प्रमाणित करने में विफल रहे कि दुर्घटना के समय ट्रैक्टर–ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा था। अपीलकर्ता ने ***नटवर पारीख एंड कंपनी लिमिटेड बनाम कर्नाटका राज्य एवं अन्य,* 2006 एसीजे 1** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलंब लेते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि ट्रैक्टर–ट्रॉली मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(14) के अंतर्गत 'माल वाहन (Goods Carriage)' की परिभाषा में आता है, और इसलिए वह धारा 2(47) के अंतर्गत 'परिवहन यान' (Transport Vehicle) की श्रेणी में आता है। अपीलकर्ता ने ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कुसुम राय एवं अन्य, 2006* एसीजे 1336** में पारित निर्णय पर भी भरोसा किया और वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया कि चूंकि चालक के पास वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स नहीं था, इसलिए बीमा कंपनी द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन मालिक से वसूलने का अधिकार (Right of Recovery) उसे दिया जाना चाहिए। ***आशा बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य,* 2004 एसीजे 448** के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) द्वारा प्रदान किया गया मुआवजा अत्यधिक है, क्योंकि सकल वेतन (Gross Salary) की बजाय मृतक को प्रतिमाह नकद में प्राप्त हो रही सकल वेतन (Net Salary)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के आधार पर आश्रितों की क्षति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) द्वारा 11 का गुणक (Multiplier) लागू करना उचित नहीं था, क्योंकि अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मृतक की उम्र लगभग 58 वर्ष थी, और उस स्थिति में 8 का गुणक लागू किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, अपीलकर्ता/दावेदार झूलबाई के इस कथन का उल्लेख किया गया कि उसकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र दुर्घटना के समय 36 वर्ष थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक की उम्र दुर्घटना के समय कम से कम 58 वर्ष थी।

(8) श्री प्रफुल्ल भारत, जो कि मालिक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता थे, उन्होंने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा पारित निर्णय ***नरेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम गोविंद एवं अन्य,*** **2006 एसीजे 2096** पर अवलंब लेते हुए यह तर्क दिया कि: ईंटों को पंप-हाउस या नालियों के निर्माण हेतु कृषि भूमि में ईंटों का परिवहन, इसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली के उपयोग के रूप में सही रूप से कृषि कार्य माना गया, और इसलिए, अपीलकर्ता/बीमाकर्ता मुआवजा भुगतान से अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि ट्रैक्टर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत "हल्का मोटर वाहन" (Light Motor Vehicle) की श्रेणी में आता है, सिर्फ इस कारण कि उसके साथ एक ट्रॉली जुड़ी हुई थी, वह ट्रैक्टर परिवहन वाहन (Transport Vehicle) में परिवर्तित नहीं हो सकता। इस संदर्भ में उन्होंने ***नागाशेट्टी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,*** **2001 (II) MPWN 104 (सर्वोच्च न्यायालय)** के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सिर्फ ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली जुड़ने मात्र से, चालक, जिसके पास हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस है, वह ऐसा वाहन चलाने में अयोग्य नहीं हो सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) श्री गौतम खेत्रपाल, जो कि अपीलकर्ता/दावेदारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता थे, उन्होंने यह तर्क दिया कि चूंकि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने मृतक की आयु 50 से 55 वर्ष के बीच मानी है, इसलिए उसे मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार 13 का गुणक (Multiplier) लागू करना चाहिए था, और इसलिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) द्वारा दिया गया उचित रूप से मुआवजा बढ़ाया जाना आवश्यक है।

(10) दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, हमने अभिलेख का अवलोकन किया।

(11) अब हम सबसे पहले क्षतिपूर्ति की राशि के विवाद्यक को लेते हैं। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने मृतक धनसाय की मासिक आय को सकल वेतन (Gross Monthly Income) के आधार पर आश्रितता की हानि पर विचार किया कि आश्रितों के नुकसान की गणना करते समय मृतक की सकल वेतन (Gross Salary) को आधार बनाना उचित नहीं है, हमारे विचार में यह सही दृष्टिकोण नहीं है। ***आशा व अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य* (पूर्वोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> "दावेदारों को उनके द्वारा उठाए गए नुकसान के लिए मुआवजा पाने का अधिकार है। यह नुकसान वह राशि है जो वे उस समय प्राप्त करते जब मृतक जीवित होता। इसमें कोई संदेह नहीं कि आश्रितों को केवल वह शुद्ध राशि (Net Amount) ही मिलती जो मृतक की व्यक्तिगत खर्चों (1/3 भाग) की कटौती के बाद शेष बचती। इसलिए उच्च न्यायालय ने इसे सही माना।"

(12) इस मामले में, मृतक धनसाय के वेतन प्रमाण पत्र (प्रद. पी–6) से स्पष्ट है कि वह प्रति माह ₹7,604/– की शुद्ध नकद वेतन प्राप्त कर रहा था। ***आशा व अन्य बनाम यूनाइटेड***

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

***इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य* (पूर्वोक्त)** के निर्णय के अनुसार, हम मृतक की आश्रितता की हानि के आकलन के लिए मृतक की मासिक आय को ₹7,600/– मानते हैं और उसमें से ₹2,500/– को व्यक्तिगत खर्चों के रूप में (1/3 भाग) घटाते हैं। इस प्रकार आश्रितों के लिए मासिक हानि = ₹5,100/– वार्षिक हानि = ₹5,100×12 = ₹61,200/– मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने मृतक की दुर्घटना के समय उम्र को 50 से 55 वर्ष के बीच मानते हुए गुणक (Multiplier) 11 लागू किया था। हालांकि, मृतक धनसाय की उम्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रद. पी–3), पंचनामा (प्रद. पी–2) और प्राथमिकी (प्रद. पी–1) के अनुसार दुर्घटना की तिथि पर 58 वर्ष थी। अतः मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने मृतक की उम्र 50 वर्ष मान कर गुणक 11 लगाने में त्रुटि की। हम दुर्घटना की तिथि पर मृतक की उम्र 58 वर्ष मानते हैं और द्वितीय अनुसूची के अनुसार गुणक 8 लागू करते हैं। इस आधार पर आश्रितों की हानि = ₹61,200 × 8 = ₹4,89,600/– हम निम्नलिखित मदों में मुआवजा राशि जोड़ते हैं: अंतिम संस्कार खर्च – ₹2,000/– साहचर्य का नुकसान (Loss of Consortium) – ₹5,000/– सम्पत्ति का नुकसान (Loss of Estate) – ₹2,500/– प्रेम व स्नेह का नुकसान (Loss of Love and Affection) – ₹2,500/– प्रत्येक दावेदार क्रमांक 2 और 3 के लिए और इस प्रकार मुआवजा निम्नानुसार निर्धारित किया गया:–

(1)	निर्भरता का नुकसान	= 4,89,600.00
(2)	अंतिम संस्कार खर्च	= 2,000.00
(3)	साहचर्य का नुकसान	= 5,000.00
(4)	संपत्ति का नुकसान	= 2,500.00
(5)	प्रेम एवं स्नेह का नुकसान	= 5,000.00
	कुल	**=5,04,100.00**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इस प्रकार, धनसाय की मृत्यु के लिए देय न्यायसंगत व युक्तियुक्त मुआवजा ₹5,04,100/– निर्धारित किया गया है।

(13) बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह विवादित मुद्दा कि ट्रैक्टर–ट्रॉली के चालक के पास दुर्घटना के समय ट्रैक्टर चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था —— अस्वीकार किए जाने योग्य है। यह बात विवादित नहीं है कि ट्रैक्टर चालक के पास दुर्घटना तिथि को हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस दुर्घटना की तारीख को था। ***नटवर पारीख एंड कंपनी लिमिटेड बनाम कर्नाटका राज्य एवं अन्य*** **(पूर्वोक्त)** के मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या कर प्राधिकरण (Taxation Authority) ट्रैक्टर–ट्रॉली को ट्रैक्टर से अलग और विशिष्ट वाहन मानकर कर लगा सकता है, और क्या अपीलकर्ता को कर्नाटका मोटर वाहन कर अधिनियम, 1957 की धारा 16 के तहत छूट देने से इनकार किया जाना उचित था। इस रीति से, वह उद्धृत केस कानून पूरी तरह से अलग संदर्भ से संबंधित था, अतः वर्तमान मामले से भिन्न है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(14) मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(21) के अनुसार "हल्का मोटर वाहन" (Light Motor Vehicle) की परिभाषा इस प्रकार है:

> **धारा 2(21):** "हल्के मोटर वाहन" का अर्थ है एक परिवहन वाहन या ओम्नीबस, जिनका सकल वाहन भार (Gross Vehicle Weight) इनमें से किसी एक का, या एक मोटरकार या <u>Tractor (या रोड रोलर)</u>, जिनका बिना लोड (Unladen Weight) वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है।

(15) "ट्रैक्टर" की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(44) के अनुसार इस प्रकार है:

> **"धारा 2(44):** "ट्रैक्टर" का अर्थ है —— ऐसा मोटर वाहन जो स्वयं किसी वस्तु को ढोने के लिए निर्मित नहीं है (केवल उत्पादन कार्य

हेतु प्रयुक्त उपकरण को छोड़कर), और इसमें रोड रोलर शामिल नहीं है।"

(16) "ट्रेलर" की परिभाषा धारा 2(46) के अनुसार इस प्रकार है:

"धारा 2(46): "ट्रेलर" का अर्थ है —— ऐसा कोई भी वाहन जो सेमी–ट्रेलर या साइड–कार को छोड़कर, मोटर वाहन द्वारा खींचा गया हो या खींचने के लिए अभिप्रेत हो।"

(17) अतः, "हल्के मोटर वाहन" (Light Motor Vehicle) की परिभाषा में "परिवहन वाहन" (Transport Vehicle) भी सम्मिलित होता है और "ट्रैक्टर" भी हल्के मोटर वाहन की परिभाषा में शामिल है।

(18) ***नागाशेट्टी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** **(पूर्वोक्त)** में, समान परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय अभिनिर्धारित किया है :–

"हम श्री एस.सी. शारदा की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते। यह बात निर्विवाद है कि चालक के पास ट्रैक्टर चलाने का वैध और प्रभावी लाइसेंस था। निस्संदेह, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत विशिष्ट श्रेणी के मोटर वाहनों को चलाने के लिए ही लाइसेंस दिया जाता है।प्रश्न यह है कि क्या सिर्फ इसलिए कि ट्रैक्टर के साथ एक ट्रॉली (ट्रेलर) जोड़ी गई थी और उसमें माल ले जाया जा रहा था, क्या ट्रैक्टर चलाने का वैध लाइसेंस अमान्य हो जाएगा? अगर श्री एस. सी. शारदा की यह दलील मान ली जाए, तो हर बार जब कोई निजी कार मालिक, जिसके पास हल्का मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस है, अपनी कार में रूफ कैरियर या ट्रेलर जोड़कर उसमें सामान ले जाए, तो वह वाहन ट्रांसपोर्ट वाहन बन जाएगा, और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मालिक को यह माना जाएगा के उसके पास वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं है। यह एक हास्यास्पद (Absurd) परिणाम होगा। सिर्फ इसलिए कि किसी ट्रैक्टर या मोटर वाहन में ट्रेलर जोड़ा गया है, उससे वह वाहन ट्रांसपोर्ट वाहन नहीं बन जाता। वह ट्रैक्टर या मोटर वाहन ही बना रहता है। यदि किसी व्यक्ति के पास ट्रैक्टर या मोटर वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ट्रेलर जोड़ने और उसमें सामान रखने के बावजूद, वह व्यक्ति उस वाहन को चलाने का वैध हकदार बना रहता है। भले ही उसमे एक ट्रेलर लगा है और उसमे कुछ सामान ढोया गया हो, दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति के पास किसी विशेष श्रेणी के वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस है, तो सिर्फ ट्रेलर जोड़ने के कारण वह उस वाहन को चलाने के अयोग्य नहीं हो जाता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(19) सर्वोच्च न्यायालय के ***नागाशेट्टी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** **(पूर्वोक्त)** के निर्णय पर अवलंब लेते हुए, हम यह निर्णय देते हैं कि चूंकि ट्रैक्टर के चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था, इसलिए सिर्फ ट्रेलर जोड़े जाने के कारण वह वाहन चलाने के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता।

(20) अब हम उस विवादास्पद विवाधक पर विचार करेंगे जो बीमा पॉलिसी के उल्लंघन (Breach of Policy) से संबंधित है, जो वाहन स्वामी द्वारा किया गया बताया गया है। इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह मुद्दा पूरी तरह से स्वामी और बीमाकर्ता के बीच का है। वाहन मालिक ने एक लिखित बयान (Written Statement) दाखिल किया था, जिसके पैरा 3 में निम्नलिखित कहा गया था:–

"3. .... कथित घटना दिनांक को संबंधित ट्रैक्टर में जो ग्राम दर्रीघाट में अनावेदिका क्रमांक. 2 के दामाद के कृषि फार्म में निर्माणाधीन पंप हाउस तथा खेत में बनने वाले नालियों के निर्माण में लगने वाले ईंट लाद कर ले जा रहा था। ट्रैक्टर के डीजल पंप में अचानक लीकेज हो जाने से प्रेशर पंप को सुधरवाने के लिए वह लिंक रोड बिलासपुर स्थित वर्कशॉप ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अनावेदक क्रमांक.1 आ रहा था........

(21) इस केस की परिस्थितियों के आधार पर, उपरोक्त दावे को सबूत भार वाहन मालिक पर था। मालिक की उपरोक्त दलीलों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना के समय ट्रैक्टर लिंक रोड, बिलासपुर पर स्थित एक वर्कशॉप की ओर मरम्मत के लिए जा रहा था। किसी भी कल्पना के आधार पर इसे ट्रैक्टर–ट्रॉली का कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं माना जा सकता। हालाँकि यह दावा किया गया कि ट्रैक्टर–ट्रॉली में लदी ईंटें मालिक के जवाई के खेत में निर्माणाधीन पंप–हाउस और नालियों के निर्माण हेतु ले जाई जा रही थीं, लेकिन इस दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। मालिक का दामाद गवाह के रूप में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य यह दिखाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया कि मालिक का दामाद वास्तव में किसी कृषि खेत (Agricultural Farm) का मालिक है, या वह खेत उस निर्माण कार्य हेतु उपयोग हो रहा था। मालिक ने यह भी प्रमाणित नहीं किया कि ईंटें उस कृषि क्षेत्र में ले जाई जा रही थीं जहाँ नालियों का निर्माण होना था। मालिक स्वयं भी गवाह के रूप में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार, जो सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम साक्ष्य मालिक के पास था, वह न्यायालय से छिपाया गया। ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्यों की अनुपस्थिति में, यह स्वीकृत तथ्य कि ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटें लदी थीं और वह बिलासपुर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के शहरी क्षेत्र में एक दुर्घटना में शामिल हुआ, यह स्पष्ट रूप से इस अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि ट्रैक्टर का उपयोग कृषि कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए किया जा रहा था। मालिक द्वारा यह भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि डीजल पंप में रिसाव के कारण चालक उसे लिंक रोड, बिलासपुर की वर्कशॉप की ओर ले जा रहा था। इस प्रकरण के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों और मालिक की दलीलों के आधार पर यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दुर्घटना के समय ट्रैक्टर–ट्रॉली बिलासपुर के शहरी क्षेत्र, अर्थात लिंक रोड, में थी और इसका उपयोग कृषि के अलावा किसी अन्य कार्य, जैसे कि शहरी क्षेत्र में ईंटों की ढुलाई, के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार, यह सिद्ध होता है कि बीमा पॉलिसी की एक विशिष्ट शर्त का उल्लंघन हुआ, अर्थात जिसमें यह उल्लेखित था कि वाहन का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए किया जाएगा। मालिक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्णय ***नरेंद्र सिंह बनाम गोविंद व अन्य*** **(पूर्वोक्त)** इस मामले में कोई सहायता नहीं करता, क्योंकि वह मामला पूरी तरह से भिन्न था। उस मामले में मालिक ने गवाह के रूप में न्यायालय में गवाही दी थी, और उसका बयान ट्रैक्टर–ट्रॉली के चालक द्वारा भी समर्थन किया गया था कि भूमि बटाई पर ली गई थी, और बीमा कंपनी द्वारा इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। परंतु इस मामले की विशेष परिस्थितियों में, यह मालिक की जिम्मेदारी थी यह सिद्ध करना कि ट्रैक्टर–ट्रॉली ईंटों को कृषि क्षेत्र में, जहाँ उसके दामाद का फार्म हाउस निर्माणाधीन था, या जहाँ नालियों का निर्माण होना था, वहाँ ले जाई जा रही थी। ना तो मालिक और ना ही ट्रैक्टर चालक न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हुए, और इस संबंध में एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। चूंकि मालिक द्वारा उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए यदि मालिक की दलील को उसकी वर्तमान स्थिति में भी माना जाए, तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दुर्घटना के समय ट्रैक्टर–ट्रॉली ईंटों का लदान लिए हुए बिलासपुर में एक वर्कशॉप की ओर मरम्मत के लिए जा रही थी, ना कि किसी कृषि प्रयोजन के लिए। हम यह स्पष्ट रूप से निर्णय देते हैं कि बीमा पॉलिसी की उस मूलभूत शर्त का उल्लंघन हुआ, जिसके अनुसार ट्रैक्टर का उपयोग केवल कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाना था। इसलिए, क्षतिपूर्ति (Compensation) की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर नहीं डाली जा सकती और यह पूरी तरह से ट्रैक्टर–ट्रॉली के मालिक पर ही लागू होती है।

(22) परिणामस्वरूप: बीमा कंपनी द्वारा दायर की गई प्रकीर्ण अपील (सिविल) क्रमांक 85/2007 मंजूर की जाती है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि को संशोधित किया जाता है और उसके स्थान पर ₹5,04,100/– (पाँच लाख चार हजार एक सौ रुपये) का मुआवजा ट्रैक्टर की मालकीन श्रीमती खोरबहरीन चंद्राकर के विरुद्ध निर्धारित किया जाता है। अपीलकर्ता/बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति देने की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता/बीमाकर्ता/बीमा कंपनी द्वारा जो राशि पहले ही मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पहले से जमा की गई, क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामिनी अलग से निष्पक्ष कार्यवाही शुरू कर मालकिन से वसूल कर सकती है। दावेदारों द्वारा क्षतिपूर्ति बढ़ाने के लिए दायर प्रकीर्ण अपील (सिविल) क्रमांक 14/2007 को खारिज किया जाता है। वाहन मालकिन श्रीमती खोरबहरीन चंद्राकर को आदेश दिया जाता है कि शेष क्षतिपूर्ति की राशि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में आज से तीन महिनों के अंदर जमा करें, अन्यथा, उन्हें 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित भुगतान करना होगा, जो कि मूल दावा आवेदन की तारीख से लागू होगा जब तक संपूर्ण वसुली नहीं हो जाती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश

सही/–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

दिनांक : 24–08–2007

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By — Brijesh Kumar Tiwari

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur